

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4132] No. 4132] नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/पौष 5, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/PAUSHA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4618(अ).—चिट फण्ड (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 41) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, जनवरी, 2020 के पहले दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 6/8/2010-बीओ II]

डॉ. मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

S.O. 4618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Chit Funds (Amendment) Act, 2019 (41 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2020, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 6/8/2010-BO.II]

Dr. MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.